अध्याय–5
बिक्री, व्यापार, आदि पर कर

(राजस्व क्षेत्र)

अध्याय–5: बिक्री, व्यापार, आदि पर कर

5.1 कर प्रशासन

बिक्री कर/मूल्य संवर्धित कर कानून एवं उसके अधीन बने नियमों को प्रमुख सचिव (वाणिज्य कर एवं मनोरंजन कर) उत्तर प्रदेश शासित करते हैं। कमिश्नर, वाणिज्य कर (क0वा0क0), उत्तर प्रदेश, वाणिज्य कर विभाग के प्रमुख हैं। उनकी सहायता के लिये 100 एडीशनल कमिश्नर, 157 ज्वाइन्ट कमिश्नर (ज्वा0कमि0), 494 डिप्टी कमिश्नर (डि0कमि0), 964 असिस्टेन्ट कमिश्नर (असि0कमि0) एवं 1,275 वाणिज्य कर अधिकारी (वा0क0अ0) होते हैं।

5.2 लेखापरीक्षा के परिणाम

2016–17 के दौरान लेखापरीक्षा ने वाणिज्य कर विभाग की कुल 1,536 लेखापरीक्षण योग्य इकाइयों में से 270[1] (18 प्रतिशत) इकाइयों के अभिलेखों की नमूना जाँच की। विभाग ने वर्ष 2015–16 के दौरान ₹ 47,692.40 करोड़ का राजस्व संग्रह किया, जिसमें से लेखापरीक्षित इकाइयों नें ₹ 25,329.62 करोड़ (53 प्रतिशत) संग्रह किया। लेखापरीक्षा ने 1,757 प्रस्तरों में धनराशि ₹ 226.72 करोड़ की अनियमितताएं चिन्हित की, जैसा कि विभाग को लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदनों के माध्यम से प्रतिवेदित किये गये थे। ये **सारणी–5.1** में वर्णित हैं।

सारणी–5.1

क्र0 सं0	श्रेणियाँ	प्रस्तरों की संख्या	धनराशि (₹ करोड़ में)	कुल आपत्तिगत धनराशि का प्रतिशत में अंश
1	कर का अवनिर्धारण	481	61.61	27.17
2	त्रुटिपूर्ण सांविधिक प्रपत्रों की स्वीकार्यता	30	1.44	0.64
3	खरीद/बिक्री छिपाये जाने से करापवंचन	22	1.11	0.49
4	आई0टी0सी0 की अनियमित/गलत/अधिक अनुमन्यता	269	13.16	5.80
5	अन्य अनियमितताएं	955	149.40	65.90
योग		**1,757**	**226.72**	

(**स्रोतः** लेखापरीक्षा कार्यालय में उपलब्ध सूचना)

वर्ष के दौरान विभाग ने 2007–08 और 2016–17 के मध्य इंगित किये गये 461 मामलों में ₹ 7.76 करोड़ के अवनिर्धारण एवं अन्य कमियों को स्वीकार किया और इसमें से 204 मामलों में ₹ 1.36 करोड़ की वसूली की।

यह अध्याय उपरोक्त मामलों में से उनके महत्व के आधार पर ₹ 25.03 करोड़ धनराशि के 168 मामलों की विवेचना करता है। इस प्रकार के मामले विगत पाँच वर्षों में बार–बार प्रतिवेदित किये जाने के बावजूद इन अनियमितताओं में से कुछ लगातार बनी रहती हैं जैसा कि **सारणी–5.2** में वर्णित है। अधिकतर लेखापरीक्षा प्रेक्षण इस प्रकृति के हैं जो अन्य इकाईयों में समान त्रुटियों/चूक को प्रतिबिम्बित कर सकते हैं, परन्तु नमूना लेखापरीक्षा में आच्छादित नहीं किये गये। अतः विभाग अन्य सभी इकाईयों का आन्तरिक परीक्षण यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कर सकता है कि वे अपेक्षाओं एवं नियमों का अनुपालन कर रही हैं।

---

[1] कमिश्नर, वा0क0 (01), ज्वा0कमि0 (24), एडी0 कमिश्नर (01), डि0कमि0 (149), असि0कमि0 (73), एवं वाणिज्य कर अधिकारी (22)।

सारणी–5.2

(₹ करोड़ में)

प्रेक्षणों की प्रकृति	2011–12		2012–13		2013–14		2014–15		2015–16		योग	
	मामले	धनराशि	मामले	धनराशि	मामले	धनराशि	मामले	धनराशि	मामले	धनराशि	मामले	धनराशि
कर की गलत दर लगाया जाना	79	3.32	95	2.36	75	8.49	132	7.49	35	2.72	416	24.38
माल का त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण	17	0.81	–	–	–	–	24	4.23	13	0.63	54	5.67

अनियमितताओं की पुनरावृत्तीय प्रकृति यह प्रमाणित करती है कि राज्य सरकार एवं वाणिज्य कर विभाग ने लेखापरीक्षा द्वारा वर्ष प्रति वर्ष इंगित किये जाने के बाद भी सतत् अनियमितताओं पर ध्यान देने के लिये प्रभावकारी उपाय नहीं किये।

संस्तुतिः

राज्य सरकार को अनियमितताओं पर ध्यान देने के लिये उपायों को आरम्भ करना चाहिए जिससे कि वर्षानुवर्ष उनकी पुनरावृत्ति न हो।

5.3 कर का कम/न आरोपण

अभिलेखों की जाँच में ऐसे दृष्टान्त प्रकट हुये जहाँ कर निर्धारण प्राधिकारी (क0नि0प्रा0) कर निर्धारण को अन्तिम रुप देते समय (अप्रैल 2012 और जुलाई 2016 के मध्य) दरों की अनुसूची में उल्लिखित कर की सही दर को लागू करने में असफल रहे और माल के त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण के कारण कर की निम्नतर दर को लागू किया। जिसके परिणामस्वरूप नमूना जाँच किये गये 37 वाणिज्य कर कार्यालयों (वा0क0का0) में 2009–10[2] से 2013–14 की अवधि में 6,007 में से 46 व्यापारियों के मामलों में ₹ 5.75 करोड़ कर का कम/न आरोपण हुआ था। कुछ मामले निम्नलिखित प्रस्तरों में उल्लिखित हैं।

5.3.1 कर की गलत दर लगाया जाना

क0नि0प्रा0 ने ₹ 25.26 करोड़ मूल्य के माल की बिक्री पर, ऐसी वस्तुओं पर लागू दरों को अनुसूची के अनुसार सत्यापित किये बिना, व्यापारियों द्वारा दाखिल कर विवरणियों में उल्लिखित कर की दर को स्वीकार किया। इस प्रकार धनराशि ₹ 2.00 करोड़ का कर कम/नहीं आरोपित हुआ।

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (उ0प्र0मू0सं0क0) अधिनियम, 2008 के अन्तर्गत कर मुक्त वस्तुएं अनुसूची I में उल्लिखित हैं तथा लागू कर की दरों के अनुसार कर योग्य वस्तुएं अनुसूची II से IV में उल्लिखित हैं। जो वस्तुएं उपरोक्त किसी भी अनुसूची में उल्लिखित नहीं हैं वो अनुसूची V से आच्छादित हैं तथा 12.5 प्रतिशत की दर से कर योग्य हैं। उपरोक्त के अतिरिक्त शासन द्वारा समय–समय पर अधिसूचित अतिरिक्त कर भी आरोपणीय है।

वर्ष 2011–12 से 2015–16 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों ने 416 व्यापारियों के करनिर्धारण को अन्तिम रूप देते समय उपर्युक्त प्रावधानों का पालन करने में क0नि0प्रा0 की असफलता को उजागर किया था, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 24.38 करोड़ का कर कम आरोपित हुआ। विभाग ने लेखापरीक्षा प्रेक्षणों को स्वीकार किया और समुचित कार्यवाही का आश्वासन दिया (सितम्बर 2016)।

[2] उ0प्र0मू0सं0क0 अधिनियम की धारा 29(3) उपबन्धित करती है कि कोई भी करनिर्धारण आदेश ऐसे करनिर्धारण वर्ष की समाप्ति के तीन वर्ष के अन्दर कर दिया जाए।

आश्वासनों का अनुगमन करते हुये लेखापरीक्षा ने 21 वा0क0का0[3] (लेखापरीक्षित 270 वा0क0का0 में से) के करनिर्धारण अभिलेखों की नमूना जाँच की और देखा कि क0नि0प्रा0 नें 24 व्यापारियों (नमूना जाँच किये गये 3,413 व्यापारियों में से) के मामलों में वर्ष 2009–10 से 2013–14 के कर निर्धारण को अन्तिम रूप देते समय (अप्रैल 2012 और जुलाई 2016 के मध्य) ₹ 25.26 करोड़ मूल्य के माल की बिक्री पर व्यापारियों द्वारा कर विवरणियों में उल्लिखित शून्य से पाँच प्रतिशत की कर की दर को स्वीकार किया। क0नि0प्रा0 अनुसूची के अनुसार ऐसी वस्तुओं पर प्रभावी पाँच से 14 प्रतिशत की दर सत्यापित और आरोपित करने में विफल रहे। इस प्रकार, धनराशि ₹ दो करोड़ का कर कम/ नहीं आरोपित हुआ **(परिशिष्ट–II)**।

समापन गोष्ठी (सितम्बर 2017) में विभाग ने लेखापरीक्षा प्रेक्षणों को स्वीकार किया एवं बताया कि तीन मामलों में धनराशि ₹ 25.56 लाख का कर आरोपित कर दिया गया है। शेष मामलों में विभाग ने कहा कि कार्यवाही चल रही है।

संस्तुतिः

वाणिज्य कर विभाग को क0नि0प्रा0 द्वारा पारित कर निर्धारण आदेशों की नमूने के तौर पर यथोचित उच्चस्तरीय आवधिक समीक्षा करने के लिए एक प्रणाली स्थापित करने हेतु विचार करना चाहिए।

5.3.2 माल का त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण

क0नि0प्रा0 ने ₹ 43.56 करोड़ मूल्य के माल पर अनुसूची में वस्तुओं के उल्लिखित सही वर्गीकरण को सत्यापित किये बिना व्यापारियों द्वारा घोषित वर्गीकरण को स्वीकार किया जिसके परिणामस्वरूप माल की बिक्री पर त्रुटिपूर्ण कर की दर लगाये जाने से धनराशि ₹ 3.75 करोड़ का कर कम आरोपित हुआ।

वर्ष 2011–12 एवं 2014–15 से 2015–16 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों ने 54 व्यापारियों के करनिर्धारण को अन्तिम रूप देते समय उपर्युक्त प्रावधानों (ऊपर प्रस्तर 5.3.1 में उल्लिखित) का पालन करने में क0नि0प्रा0 की असफलता को उजागर किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 5.67 करोड़ का कर कम/ नहीं आरोपित हुआ। विभाग ने लेखापरीक्षा प्रेक्षणों को स्वीकार किया और समुचित कार्यवाही का आश्वासन दिया (सितम्बर 2016)।

आश्वासनों का अनुगमन करते हुये लेखापरीक्षा ने 21 वा0क0का0[4] (लेखापरीक्षित 270 वा0क0का0 में से) के करनिर्धारण अभिलेखों की नमूना जाँच की और देखा कि क0नि0प्रा0 नें 22 व्यापारियों (नमूना जाँच किये गये 2,594 व्यापारियों में से) के मामलों में वर्ष 2010–11 से 2013–14 के कर निर्धारण को अन्तिम रूप देते समय (मार्च 2014 और मार्च 2016 के मध्य) ₹ 43.56 करोड़ मूल्य के माल पर व्यापारियों द्वारा घोषित वर्गीकरण को अनुसूची में उल्लिखित वस्तुओं के सही वर्गीकरण से सत्यापित किये बिना स्वीकार किया। इसके परिणामस्वरूप सही कर की दर 13.5 से 14 प्रतिशत के बजाय एक से पाँच प्रतिशत कर की त्रुटिपूर्ण दर लगायी गयी जिससे धनराशि ₹ 3.75 करोड़ का कर कम आरोपित हुआ **(परिशिष्ट–III)**।

समापन गोष्ठी (सितम्बर 2017) में विभाग ने 21 मामलों में लेखापरीक्षा प्रेक्षणों को स्वीकार किया एवं बताया कि नौ मामलों में धनराशि ₹ 1.56 करोड़ का कर आरोपित कर दिया गया है जिसमें से एक मामले में धनराशि ₹ 5.31 लाख की वसूली की गयी है। शेष मामलों में विभाग ने बताया कि कार्यवाही चल रही है। एक मामले में विभाग ने

[3] वा0क0का0 का नाम, कर की दर और अन्य विवरण परिशिष्ट में दिये गये हैं।
[4] वा0क0का0 का नाम, कर की दर और अन्य विवरण परिशिष्ट में दिये गये हैं।

लेखापरीक्षा के तर्क को स्वीकार नहीं किया और बताया कि एल्यूमिनियम कम्पोजिट पैनेल (ए0क0पै0) एल्यूमिनियम एक्सट्रूशन[5] की श्रेणी के अन्तर्गत आता है। विभाग का उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि ए0क0पै0 एक तैयार सजावटी उत्पाद है जो कि भवनों, कमरों इत्यादि की बाह्य/आन्तरिक दीवारों की सजावट के लिये प्रयुक्त होता है। इसलिए यह अवर्गीकृत वस्तुओं की श्रेणी के अन्तर्गत आता है और न कि एल्यूमिनियम एक्सट्रूशन की श्रेणी के अन्तर्गत। यह विवाद न्यायिक निर्णयों[6] में भी निर्णीत किया जा चुका है।

संस्तुतिः

वाणिज्य कर विभाग को अधिनियम के साथ संलग्न अनुसूची के अनुसार करयोग्य माल का सही वर्गीकरण सुनिश्चित करना चाहिये।

5.4 पुनरावृत्तीय प्रकृति की अनियमिततायें

विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने के बावजूद क0नि0प्रा0 ने मूल्य संवर्धित कर (मू0सं0क0) के वादों के निर्धारण में समुचित सावधानी से कार्य नहीं किया जिसके फलस्वरूप ₹ 19.28 करोड़ की धनराशि की समान प्रकृति की अनियमितताओं की पुनरावृत्ति हुई।

वर्ष 2011–12 से 2015–16 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में 326 व्यापारियों के कर निर्धारण को अन्तिम रूप प्रदान करते समय अधिनियमों/नियमों के प्रावधानों के अनुपालन में क0नि0प्रा0 की विफलता के फलस्वरूप धनराशि ₹ 63.15 करोड़ के कर एवं समाधान राशि के कम आरोपण, शास्ति के अनारोपण एवं ब्याज न प्रभारित करने को उजागर किया गया था। विभाग ने लेखापरीक्षा प्रेक्षणों को स्वीकार किया और समुचित कार्यवाही का आश्वासन दिया (सितम्बर 2016)।

आश्वासनों का अनुगमन करते हुये, लेखापरीक्षा ने 91 वा0क0का0 (लेखापरीक्षित 270 वा0क0का0 में से) के कर निर्धारण अभिलेखों की नमूना जाँच की और देखा कि लेखापरीक्षा द्वारा वर्षानुवर्ष इंगित किये जाने के बावजूद क0नि0प्रा0 ने वर्ष 2008–09 से 2013–14 के करनिर्धारण को अन्तिम रूप देते समय (जून 2012 तथा मार्च 2016 के मध्य) 122 व्यापारियों (नमूना जाँच किये गये 13,565 व्यापारियों में से) के मामले में समुचित सावधानी से कार्य नहीं किया जिसके फलस्वरूप लेखापरीक्षा द्वारा विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में इंगित समान प्रकृति की अनियमितताओं धनराशि ₹ 19.28 करोड़ की पुनरावृत्ति हुई **(परिशिष्ट–IV)**।

इस सम्बन्ध में लेखापरीक्षा इंगित करना चाहेगा कि जुलाई 2017 से वस्तु एवं सेवा कर (जी0एस0टी0) के क्रियान्वयन होने से विरासत में प्राप्त मू0सं0क0 (वैट) से सम्बन्धित सभी मामलों का करनिर्धारण मार्च 2020 तक पूर्ण किया जाना है। इसमें, इसलिए राज्य को राजस्व मे कमियों की भरपाई का अवसर स्थाई रूप से खो देने का वास्तविक जोखिम है जब तक कि सभी कर निर्धारण इस तिथि तक पूर्ण/पुनरीक्षित न कर लिये जायें।

---

5 एल्यूमिनियम कम्पोजिट पैनेलः एक प्रकार का समतल पैनेल है जिसमें दो पतली एल्यूमिनियम शीटें,नान–एल्यूमिनियम कोर से जुड़ी रहती हैं। ए0क0पै0 प्रायः भवनों के बाह्य आवरण या अग्रभाग और आन्तरिक सजावट के लिये प्रयुक्त होता है। यह उ0प्र0मू0सं0क0 अधिनियम की अनुसूची I से IV में वर्गीकृत नहीं है। एल्यूमिनियम एक्सट्रूशनः विभिन्न आकार एवं माप के एल्यूमिनियम के टुकड़े एल्यूमिनियम एक्सट्रूशन हैं। यह उ0प्र0मू0सं0क0 अधिनियम की अनुसूची II में वर्गीकृत है।

6 उदाहरण के लिये मे0 स्वाती इन्टरप्राइजेज के वाद में कमिश्नर वैट, दिल्ली का आदेश क्र0 94/सीडी वैट/2006 दिनांक 8 जून 2006।

समापन गोष्ठी (सितम्बर 2017) में विभाग ने लेखापरीक्षा प्रेक्षणों को स्वीकार किया और बताया कि 30 मामलों में धनराशि ₹ 4.62 करोड़ का कर/शस्ति/ब्याज आरोपित/अधिरोपित/प्रभारित किया गया है तथा ब्याज सहित आई0टी0सी0 उत्क्रमित की गयी है जिसमें से आठ मामलों में ब्याज की धनराशि ₹ 54.43 लाख की वसूली कर ली गयी है। शेष मामलों में विभाग ने बताया कि कार्यवाही चल रही है।

संस्तुतिः

वाणिज्य कर विभाग को वैट के ऐसे सभी मामलों में जहाँ लेखापरीक्षा द्वारा इंगित प्रकृति के समान प्रेक्षण दिखे हों/दिखने की सम्भावना हो, की समीक्षा करनी चाहिए तथा मार्च 2020 तक सभी निर्धारण पूर्ण करने चाहिए।

लेखापरीक्षा का प्रभाव

विभाग ने इस अध्याय में निदर्शित ₹ 25.03 करोड़ में से ₹ 59.74 लाख की वसूली सूचित की है (सितम्बर 2017)।